HAMIRPUR POLICE

थाना राठ **दिनांक 16.09.2022**

अवैध गुटखा फैक्ट्री का खुलासा, गुटखा फैक्ट्री सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 15.09.2022 को थाना राठ पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर छापा-मारी कर अवैध रूप से सुपारी काटकर तम्बाकू एंव अन्य कैमिकल, हानिकारक पदार्थ मिलाकर मिश्रित सुपारी/तम्बाकू बनाने एंव पैकिगं करने वाले रैपर, सम्बंधी माल एंव मशीन की भारी मात्रा मे बरामदगी की गई तथा दो अभियुक्तों 1). जागेश्वर गुप्ता उर्फ मुन्ना पुत्र सन्तराम गुप्ता निवासी छोटी जुलेहटी कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर उम्र करीब 48 वर्ष 2). महेश लोधी पुत्र मलखान सिंह निवासी ग्राम धनौरी थाना राठ जनपद हमीरपुर उम्र करीब 38 वर्ष की गिरफ्तारी की गई। अभियुक्तगण द्वारा अपने सहयोगियो के साथ मिलकर संयुक्त रूप से मानव जीवन/स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले असुरक्षित/हानिकारक तथा जान लेवा मानव खाद्य गुटखा, पान मसाला व तम्बाकू युक्त सुपारी का निर्माण किया जाता है इन हानिकारक खाद्य पदार्थो के सेवन से गम्भीर मानव उपहति, शरीर के प्रमुख अंगो के कार्य प्रणाली पर दुष्प्रभाव, कैंसर, हृदय रोग, श्वांस रोग व अन्य घातक बीमारियां तथा मृत्यु कारित हो सकती है। उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा गुटखा, पान मसाला, तम्बाकू युक्त सुपारी में जहरीले रासायनिक पदार्थो का मिश्रण भी किया जाता है। जिस सम्बंध मे थाना राठ पर मु0अ0सं0 486/22 धारा 420/467/468/471/272/273/120बी भा0द0सं0 व 5 खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

बरामद माल का विवरण-

01) तम्बाकू मिश्रण 04 बोरो में	07) सुपारी कटी तीन बोरा
02) सुगंधित सुपारी दो बोरो में	08) दो पिपिया मे करीब 05 ली0 पिपरमेण्ट
03) पंडिंत सुपारी रोल 03 बोरी	09) दो पिपिया में कैमिकल
04) कुबेर रैपल रोल एक बोरी	10) दो अदद सुपारी काटने वाली मशीन
05) सुपारी बुरादा 10 बोरो में	11) एक अदद पैकिंग करने वाले मशीन
06) सुपारी खड़ी चार बोरा	12) दो अदद इलैक्ट्रानिक कांटे

बरामदगी करने वाली टीम-

1) एसएसआई पन्धारी सरोज
2) उ0 नि0 सुजीत कुमार
3) म0उ0नि0 कल्पना सिंह
4) का0 पंकज कुमार
5) का0 देवेन्द्र कुमार
6) का0 विशाल साहू
7) का0 अनिल दिवाकर
8) का0 अनिल कुमार